न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान तेज सिंह बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या –163 / 2025
निर्णय दिनांक 09/07/2025

तेज सिंह पुत्र बालू राम जाति माली निवासी वार्ड नं. 09 तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 277 के खसरा सं. 1731/100 तादादी 1.2139 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में इंतकाल के समय भूलवश गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम तेजाराम पुत्र बालूराम दर्ज हो गया, जो गलत है, जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का सही तेज सिंह पुत्र बालूराम है। प्रार्थी के नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट आदि दस्तावेजाज तथा जमाबंदी खाता सं. 111 वाके रोही ब्राह्मणवासी में प्रार्थी का नाम तेज सिंह पुत्र बालूराम अंकित है जो प्रार्थी का सही नाम है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 277 के खसरा सं. 1731/100 तादादी 1.2139 हैक्ट में प्रार्थी का नाम तेज सिंह पुत्र बालूराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम तेजाराम पुत्र बालूराम व तेज सिंह पुत्र बालूराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट आदि दस्तावेजाज तथा जमाबंदी खाता सं. 111 वाके रोही ब्राह्मणवासी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम तेज सिंह पुत्र बालूराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम तेजाराम पुत्र बालूराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा तारानगर पटवार हल्का तारानगर तहसील तारानगर के खाता संख्या 277 के खसरा सं. 1731/100 तादादी 1.2139 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम तेजाराम पुत्र बालूराम Delete कर इसके स्थान पर तेज सिंह पुत्र बालूराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....09/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)